निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़ 1937 (श0)

(सं0 पटना 824) पटना, शुक्रवार, 17 जुलाई 2015

सं० एन/गृ०को०–74–0052/2009—524
गृह (विशेष) विभाग

संकल्प
15 जुलाई 2015

लोकनायक जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक 18.03.74 से 21.03.77 तक की अवधि में प्रजातंत्र के अस्तित्व को बचाने एवं जनता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु चलाये गये आंदोलन में भाग लेने वाले वैसे व्यक्तियों जो उक्त आंदोलन के दौरान मीसा/डी0आई0आर0 में एक माह से छः माह तक तथा छः माह से अधिक निरूद्ध रहे है, को क्रमशः 2,500 (दो हजार पांच सौ) एवं 5,000 (पांच हजार) रूपये मासिक **''सम्मान पेंशन''** एवं संदर्भगत अवधि में इसी कोटि के जेल में मृत एवं पुलिस फायरिंग में मारे गये व्यक्तियों के पति/पत्नी को 5,000 (पांच हजार) रूपये मासिक सम्मान पेंशन एवं पुलिस फायरिंग में गोली से घायल व्यक्तियों को 2,500 (दो हजार पांच सौ) रूपया मासिक पेंशन देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था।

उपर्युक्त कोटि के व्यक्तियों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में राज्य के अन्दर मुफ्त यात्रा की सुविधा, राज्य सरकार के अस्पतालों एवं सी० जी० एच० एस० से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी निजी अस्पतालों तथा समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित गैर सरकारी अस्पतालों में स्वयं पति/पत्नी की चिकित्सीय सुविधा तथा पहचान पत्र की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

(1) यह योजना ''जे० पी० सम्मान योजना'' कहलायेगी। यह योजना दिनांक 01 जून, 2009 से प्रभावी होगा।

(2) एक माह से कम अवधि के लिए कारागार में रहे अथवा भूमिगत रहे व्यक्तियों तथा आन्दोलन में योगदान करने वाले अन्य व्यक्तियों का चयन सलाहकार पर्षद् की अनुशंसा पर किया जा सकेगा। चयनित व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह दिया जा सकेगा।

(3) ऐसे सेनानी जिन्होंने आवेदन नहीं दिया है किन्तु सलाहकार पर्षद् की नजर में ज्ञात सेनानी हैं उन्हें भी पर्षद् की अनुशंसा पर प्रस्तावित सुविधा देने की पेशकश की जा सकेगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा गठित ''सलाहकार पर्षद्'' औचित्यपूर्ण कारणों से देर से समर्पित करने वाले आवेदकों के दावे एवं जिन लोगों ने आवेदन पत्र विहित अवधि में समर्पित किया है, उनके द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निस्तार एवं एतद् संबंधी अन्य समस्याओं के निदान हेतु आगे कार्य कर सकेगी।

उक्त संकल्प में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आंशिक संशोधन करते हुए जे० पी० सेनानियों को दिनांक 01.08.2015 के प्रभाव से निम्नलिखित सुविधाएं दिये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(क) उक्त योजनान्तर्गत वैसे पेंशनरों जिनके मीसा/डी०आई०आर० में कारा में संसीमन की अवधि एक माह से छः माह तक थी, उन्हें 2,500 (दो हजार पांच सौ) रूपये से बढ़ाकर 5,000 (पांच हजार) रूपये एवं छः माह से अधिक जेल में निरूद्ध रहे पेंशनरों का पेंशन 5,000 (पांच हजार) रूपये से बढ़ाकर 10,000 (दस हजार) रूपये तथा संदर्भगत अवधि में इसी कोटि के जेल में मृत एवं पुलिस फायरिंग में मारे गये व्यक्तियों के पति/पत्नी (Spouse) को 5,000 (पांच हजार) रूपये से बढ़ाकर 10,000 (दस हजार) रूपये मासिक सम्मान पेंशन एवं पुलिस फायरिंग में गोली से घायल व्यक्तियों को 2,500 (दो हजार पांच सौ) रूपये से बढ़ाकर 5,000 (पांच हजार) रूपये मासिक सम्मान पेंशन एवं इस योजना के तहत सभी प्रकार के पेंशनरों की मृत्यु के उपरान्त पति/पत्नी (Spouse) को को भी उसी दर पर पेंशन एवं अन्य सुविधाएं दी जायेगी।

(ख) जिन जे० पी० सेनानियों के कारा में जाने एवं मुक्त होने की तिथि का सत्यापन कारा अभिलेखों के अनुपलब्ध होने के कारण संभव नहीं है, उसके लिए सत्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सेनानियों द्वारा उपलब्ध कराये गये एफ०आई०आर०/न्यायालय का प्रमाण पत्र/जिला पदाधिकारी का प्रमाण पत्र (तीनों या किसी एक प्रमाण पत्र) के आधार पर जिले के दो जे० पी० सेनानियों (जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है एवं जो छः माह से अधिक मीसा/डी०आई०आर० के अन्तर्गत जेल में रहे हों) द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से काराधीन रहने का प्रमाण पत्र दिये जाने एवं उसके पश्चात् सलाहकार पर्षद् की अनुशंसा पर जे० पी० सम्मान पेंशन दिया जायेगा।

(ग) जिन जे० पी० सेनानियों के जेल में मीसा के अन्तर्गत प्रवेश की तिथि अंकित है, परन्तु जेल से मुक्त होने की तिथि अंकित नहीं है, ऐसे मामले में मीसा के अन्तर्गत बंदी की आपातकाल के समाप्त होने की तिथि 21.03.1977 को कारा से मुक्ति होने की तिथि मानते हुए ऐसे सेनानियों का चयन शपथ पत्र के माध्यम से प्रमाण पत्र दिये जाने पर जिलों में सलाहकार पर्षद् के द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति के जॉच प्रतिवेदन एवं सलाहकार पर्षद् से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर पेंशन दिया जायेगा।

(घ) जिन जे० पी० सेनानियों के जेल में डी०आई०आर० के अन्तर्गत प्रवेश की तिथि अंकित है तथा जेल से मुक्त होने की तिथि अंकित नहीं है, ऐसे सेनानियों का चयन शपथ पत्र के माध्यम से प्रमाण पत्र दिये जाने पर जिलों में सलाहकार पर्षद् के द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं सलाहकार पर्षद् से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर पेंशन दिया जायेगा।

(ड.) जे० पी० आन्दोलन के दौरान जो महिलाएं जेल गयी थी और एक माह से कम भी जेल में निरूद्ध रही हैं एवं उन्होंने जे० पी० आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं, ऐसी महिलाएं को मीसा/डी०आई०आर० की धारा नहीं लगाये जाने पर भी ऐसे सेनानियों को जेल में दो सहभागी सेनानी (जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है एवं छः माह से अधिक मीसा/डी०आई०आर० के अन्तर्गत जेल में रहे हों) जिलों में सलाहकार पर्षद् के द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति के जॉच प्रतिवेदन एवं उसके आधार पर सलाहकार पर्षद् से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक माह से अधिक या छः माह से कम का पेंशन दिया जायेगा।

(च) जे० पी० आन्दोलन के दौरान भूमिगत रहे अथवा आन्दोलन में योगदान करने वाले व्यक्तियों का चयन सलाहकार पर्षद् द्वारा जिलों में गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा अनुशंसा किये जाने पर ऐसे सेनानियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह (बशर्ते ऐसे सेनानियों की उम्र 18.03.1974 से 21.03.1977 की अवधि में 14 वर्ष से कम न हों) दिया जायेगा।

(छ) जे० पी० आन्दोलन में भाग लेने वाले जो सेनानी पेंशन आदि के पात्र है, परन्तु झारखंड में या बिहार राज्य से बाहर अन्यत्र निवास करते हैं, उन्हें भी सलाहकार पर्षद् की अनुशंसा पर पेंशन देय होगा बशर्ते कि वे अपने वर्त्तमान स्थान के राज्य में जे० पी० सेनानी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हों।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सलाहकार पर्षद् के अध्यक्ष/सदस्यों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय एवं संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। इसकी प्रतियां सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमाशंकर राम,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 824-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in